



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128232

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 24103 सन् 2026

श्रीमती गीता तथा अन्य

... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.. प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:- आशुतोष, पवन कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सी.एस.सी.)

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्तागण ने परमादेश की प्रकृति की एक रिट की प्रार्थना की है जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण को उनके शान्तिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए तथा संरक्षण प्रदान किए जाने हेतु भी निर्देश दिया जाए।
3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि हाईस्कूल की अंकतालिका के अनुसार याचिकाकर्ता संख्या 1 व याचिकाकर्ता संख्या 2 दोनों वयस्क हैं। आर्य समाज, प्रयागराज द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है तथा ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र भी संलग्न किया गया है।
4. **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 सीआरएलजे 3309 में**, अन्तर्जातीय विवाह करने वाले लड़के व लड़की के माता-पिता द्वारा उत्पीड़न के एक प्रकरण से निपटते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के प्रशासन/पुलिस प्राधिकारियों को निम्नलिखित शब्दों में निर्देश जारी किए हैं:-

"यह एक स्वतन्त्र व लोकतान्त्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क

हो जाता है, तो वह जिस किसी से भी चाहे, विवाह कर सकता है। यदि लड़के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अथवा लड़की के माता-पिता ऐसे अन्तर्जातीय अथवा अन्तर्धार्मिक विवाह को स्वीकृति नहीं देते, तो अधिक से अधिक वे पुत्र अथवा पुत्री से सामाजिक सम्बन्ध विच्छेद कर सकते हैं, किन्तु वे धमकी नहीं दे सकते अथवा हिंसा के कृत्य नहीं कर सकते या उसके लिए उकसा नहीं सकते और ऐसा अन्तर्जातीय अथवा अन्तर्धार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को उत्पीड़ित नहीं कर सकते। हम, अतएव, यह निर्देश देते हैं कि देश भर के प्रशासन/पुलिस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई वयस्क लड़का अथवा लड़की किसी वयस्क स्त्री अथवा पुरुष के साथ अन्तर्जातीय अथवा अन्तर्धार्मिक विवाह करता/करती है, तो उस दम्पति को कोई भी उत्पीड़ित न करे और न ही उन्हें धमकी अथवा हिंसा के कृत्यों के अधीन किया जाए, तथा जो कोई भी ऐसी धमकी देता है अथवा उत्पीड़ित करता है अथवा हिंसा के कृत्य करता है, स्वयं अथवा अपने उकसाने पर, उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा दण्डित कार्यवाही संस्थित कर उसे दण्डित किया जाए और विधि द्वारा उपबन्धित रीति से ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध और भी कठोर कार्यवाही की जाए।"

5. **भगवान दास बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 28 व 29 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"28. प्रायः प्रेम करने वाले युवा दम्पतियों को कंगारू अदालतों के प्रकोप से बचने हेतु पुलिस लाइन अथवा संरक्षण गृहों में शरण लेनी पड़ती है। हमने लता सिंह के वाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि "ऑनर" हत्याओं में कुछ भी "सम्मानजनक" नहीं है, और वे सामन्ती मानसिकता वाले हठधर्मी व्यक्तियों द्वारा की गई बर्बर व क्रूर हत्याओं के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। हमारे मत में ऑनर हत्याएँ, चाहे जिस भी कारण से हों, विरलतम-से-विरल प्रकरणों की श्रेणी में आती हैं जो मृत्युदण्ड की पात्र हैं। समय आ गया है कि इन बर्बर, सामन्ती प्रथाओं का उन्मूलन किया जाए जो हमारे राष्ट्र पर एक कलंक हैं। ऐसे नृशंस, असभ्य आचरण के लिए यह निवारक के रूप में आवश्यक है। जो भी व्यक्ति "ऑनर" हत्याएँ करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि फाँसी का फंदा उनकी प्रतीक्षा कर रहा है।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. विद्वान् स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपर्युक्त अवलोकन व निर्देश उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवर्तित किए जा रहे हैं और इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा कोई और निर्देश जारी किया जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह याचिकाकर्तागण की मात्र आशंका है कि निजी प्रत्यर्थागण कोई हिंसा का कृत्य कर सकते हैं अथवा याचिकाकर्तागण को उत्पीड़ित कर सकते हैं।
7. मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किन्तु मामले के गुणागुण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिट याचिका का इस निर्देश सहित अन्तिम रूप से निस्तारण किया जाता है कि याचिकाकर्तागण एक विवाहित दम्पति के रूप में एक साथ रहने हेतु स्वतन्त्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शान्तिपूर्ण सहवास में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचिकाकर्तागण के शान्तिपूर्ण सहवास में कोई विघ्न उत्पन्न किया जाता है, तो याचिकाकर्तागण इस आदेश की प्रति सहित सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क करेंगे, जो मामले की जाँच करेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
8. याचिकाकर्तागण को यह भी निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त विवाह उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली, 2017 के उपबन्धों के अनुसार आज की तिथि से दो माह के भीतर पंजीकृत कराया जाए और यदि याचिकाकर्तागण निर्धारित अवधि के भीतर विवाह पंजीकृत कराने में विफल रहते हैं, तो इस आदेश द्वारा प्रदत्त संरक्षण प्रभावी नहीं रहेगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विवाह की वैधता और/अथवा याचिकाकर्तागण द्वारा दावाकृत विवाह प्रमाणपत्र की सत्यता अथवा याचिकाकर्तागण की सही आयु का विनिश्चय नहीं किया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्तागण को विधि के अनुसार संस्थित किसी कार्यवाही अथवा प्रक्रिया से संरक्षण प्रदान करने हेतु पारित नहीं किया गया है।
10. चूँकि याचिका का निस्तारण प्रारम्भिक स्तर पर (इन लिमिने) किया जा रहा है, अतएव इससे व्यथित कोई भी व्यक्ति, यदि यह आदेश तथ्यों के दमन अथवा छिपाव द्वारा अथवा मिथ्या अभिकथनों पर प्राप्त किया गया हो, तो इसकी वापसी हेतु आवेदन करने के लिए स्वतन्त्र है।



11. तथापि, यह आदेश पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित किसी विवेचना, यदि कोई हो, के मार्ग में बाधक नहीं होगा।

12. यदि याचिकाकर्तागण द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया है और यह आदेश प्रत्यर्थी संख्या 4 की अनुपस्थिति में पारित किया जा रहा है, तो प्रत्यर्थी संख्या 4 के लिए इस आदेश की वापसी चाहते हुए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

(कुणाल रवि सिंह, न्यायमूर्ति)

18 जून, 2026

सुष्मा

Translated Version, Not For Legal Use.